मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एफ 7-42/2012/आ.प्र/एक भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

प्रति

समस्त अनुविभागीय अधिकारी "राजस्व" (पदाभिहित अधिकारी)
समस्त जिला कलेक्टर (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
समस्त संभागायुक्त (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
मध्यप्रदेश

विषय:-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में ।

संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13 अगस्त, 2018

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व में हस्तलिखित (मैन्युअल) जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 द्वारा अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.5 के तहत डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है । सेवा क्रमांक 6.5 निम्नानुसार है :-

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
6.5	हस्तलिखित मैन्युअल जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	03	जिला कलेक्टर	07	संभागीय आयुक्त

2. उक्त सेवा के प्रदाय हेतु संदर्भित परिपत्र की कंडिका 9 (i) 1. में हस्तलिखित (मैनुअल) जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है । इस बिन्दु पर पुनर्विचार करने पर राज्य शासन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इस सेवा में डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मूल जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मूल जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना पर्याप्त होगा । अत: संदर्भित परिपत्र की कंडिका 9 (i) 1 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका स्थापित की जाती है :-

"1. आवेदक के पक्ष में जारी हस्तलिखित (मैनुअल) जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति ।"

कृपया तदनुसार उक्त सेवा प्रदाय किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7-42/2012/आप्र/एक

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. मान. मंत्री , सा.प्र.वि., के निज सचिव/निज सहायक, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जलपुर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र., भोपाल
14. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय-ब्लॉक 204, मैथी विहार, अमीर पेठ, हैदराबाद-500038
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल
18. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
19. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग